मंत्रिपरिषद के निर्णय

सबकी भलाई के फैसले

बीमार/बंद उद्योगों के पुनर्वास के लिये ऊर्जा संबंधी वित्तीय प्रतिपूर्ति

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिये निर्णय लिया गया कि उन्हें विद्युत संबंधी सुविधाएं/छूट प्रदान करने के लिये संबंधित विद्युत वितरण कम्पनियों को राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा विभागीय बजट में प्रावधान कर की जायेगी। इस संबंध में प्रकरणवार निर्णय लिया जाएगा।

अध्यापकों एवं सचिवों को अब 101 प्रतिशत डी.ए.

मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को नौ प्रतिशत महँगाई भत्ता में वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। महँगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि को मिलाकर अब 101 प्रतिशत महँगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। महँगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ एक जुलाई, 2010 से मिलेगा।

कपास बीज विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को बीजों की सुलभ उपलब्धता, संवितरण और विभिन्न किस्मों के कपास बीजों की विक्रय दरों के निर्धारण के लिए विधानसभा में मध्यप्रदेश कपास बीज विधेयक 2010 पेश किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके द्वारा कपास बीज दरों पर सरकार का नियंत्रण कायम हो जायेगा और किसानों को उचित कीमत पर बीज मिल सकेंगे।

संविदा शाला शिक्षक अध्यापक संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जा सकेगा। यह छूट सिर्फ एक बार मिलेगी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय के तहत मध्यप्रदेश पंचायत और नगर पालिका संविदा शाला शिक्षकों को यह मौका मिलेगा। इसमें शर्त यह रहेगी कि ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण के बतौर बीएड, बीएड (विशेष शिक्षा), बीटीसी, डीएड, डीएसई, बीटीआई उपाधि या पत्रोपाधि करना जरूरी होगा। इन्हें अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना

मंत्रिपरिषद की बैठक में बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया।

मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्य में वर्ष 2015 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 94.2 से घटाकर 60 प्रति हजार जीवित बच्चे करना शामिल है। इसी प्रकार वर्ष 2015 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत लाना तथा वर्ष 2020 तक इस प्रतिशत को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तक लाना है। इसके अलावा वर्ष 2015 तक 5 वर्ष एवं कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण की दर को 126 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक लाना तथा वर्ष 2020 तक इसको नगण्य करना है।

मिंटो हाल में कन्वेंशन-सह-ट्रेड सेंटर की स्थापना

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि भोपाल में पुराने विधानसभा परिसर (मिन्टो हाल) और उससे लगी भूमि पर कन्वेंशन-सह-ट्रेड सेंटर की स्थापना की जायेगी। मिन्टो हाल और उससे लगी 6.73 एकड़ भूमि को निजी क्षेत्र के भागीदार को एक रुपये के लीज रेन्ट पर 60 वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी। सभी शर्तें पूरी करने पर इस अवधि को पुनः 30 वर्ष बढ़ाये जाने का प्रावधान होगा। इस 6.73 एकड़ भूमि को कन्वेंशन सेंटर और न्यूनतम 2 हजार वर्ग मीटर के प्रदर्शनी हाल के रूप में विकसित किया जायेगा। इसमें सम्मिलित मिन्टो हाल के सामने स्थित पार्क की 1.20 एकड़ भूमि का उपयोग अस्थाई खुले कैफेटेरिया तथा इसी प्रकार के प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

शेष 7.11 एकड़ भूमि (मिन्टो हाल के सामने पार्क में स्थित 0.83 एकड़ भूमि सहित) पर 200 कमरों का स्टार होटल, एक लाख वर्ग फीट भूमि में रिटेल निर्माण तथा अधिकतम तीन लाख वर्ग

फीट में ऑफिस काम्पलेक्स, सर्विस्ड अपार्टमेंट तथा अन्य इसी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जायेंगी। साथ ही निजी भागीदारी के विकल्प पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओशनेरियम तथा एक्वेरियम का निर्माण किया जा सकेगा।

गोरस कलमी रोड घटनाः समिति का पुनर्गठन

मंत्रिपरिषद की बैठक में श्योपुर जिले के गोरस कलमी रोड में पुलिस सहायक उप निरीक्षक श्री दिवारी लाल रावत की संदेहजनक मौत के मामले में न्यायिक जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही के लिये मंत्रिपरिषद समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। इस समिति में विधि मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल शामिल होंगे।

लेंको पावर प्रोजेक्ट : उपसमिति गठित

मेसर्स लेंको-अमरकंटक पावर प्रायवेट लिमिटेड के पथाड़ी छत्तीसगढ़ स्थित विद्युत गृह से एम.पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी को विद्युत का क्रय करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद उप समिति बनाने का निर्णय लिया। इस समिति में वित्त मंत्री श्री राघवजी, पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया और ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजेन्द्र शुक्ल शामिल होंगे।

हुकुमचंद मिल : उपसमिति गठित

हुकुमचंद मिल्स लिमिटेड इंदौर के परिसमापन के परिणामस्वरूप मजदूरों के लेनदारियों के भुगतान एवं अन्य विषयों के संबंध में मंत्रिपरिषद ने मंत्रिमण्डल उपसमिति के गठन का निर्णय लिया। इस समिति में वित्त मंत्री श्री राघवजी, उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और विधि विधायी कार्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा शामिल है। समिति मिल मालिकों से मजदूरों को भुगतान कराने पर भी विचार करेगी।

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की स्थापना

मंत्रिपरिषद की बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए अंशपूंजी के रूप में राज्य शासन की ओर से 5 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि कम्पनी की मांग के अनुसार 5 प्रतिशत अंशपूंजी बतौर आवंटित करने का निर्णय लिया। परियोजना के लिए इंदौर, उज्जैन तथा ग्वालियर में भूमि आवंटन की मांग की थी।

उल्लेखनीय है कि मेसर्स अवंतिका गैस लिमिटेड इंदौर द्वारा प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रोजेक्ट प्रथम चरण में इंदौर तथा द्वितीय चरण में उज्जैन तथा ग्वालियर शहरों में कार्य करेगा।

परियोजना के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र हेतु कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एवं घरेलू उपयोग हेतु पाइप्ड नेचुरल गैस का वितरण किया जायेगा। इंदौर परियोजना हेतु गैस जागोती-पीथमपुर गैस पाइप लाइन से प्राप्त की जाना है।

चार न्यायाधीशों की अपील निरस्त

मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री प्रीतम सिंह तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक रतलाम, डॉ. अनुवाद श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक सागर, श्री ओ.पी. मांडिल्य तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक आरौन, जिला गुना तथा श्री विक्रम सिंह मुवैल तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक इंदौर को सेवा से पृथक किये जाने के विरुद्ध उनके द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत अपील निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

पेंशन रोकने का निर्णय

मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद की स्थापना में सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-2 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की दो प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय श्री शर्मा द्वारा सेवा में रहते हुए अपने कर्तव्य का ठीक से पालन न करने के सजा के रूप में लिया गया।

इसी तरह सेवानिवृत्त सहायक यंत्री श्री ए.के. शर्मा एवं सेवानिवृत्त उप यंत्री श्री व्ही.एस. क्षत्रिय की पांच प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से भी रोकने का निर्णय लिया गया। इन दोनों अधिकारियों ने भी अपनी सेवा काल में निर्माण कार्यों में अनियमितता की थी जो जाँच में सिद्ध हो गई है।

महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद की बैठक में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन में पांच विभागों के लिए 30 शैक्षणिक पद तथा 17 गैर शैक्षणिक पदों के निर्माण को स्वीकृति दी। इन पदों पर आने वाला आवर्ती वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

आदिवासी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में 117 पदों की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद की बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति

कल्याण विभाग के अंतर्गत शैक्षिक पदों को 30 प्रतिशत कटौती से मुक्त रखते हुए 117 पदों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त पदों के सृजन के लिए 584 गैर शैक्षणिक पदों को समर्पित करते हुए समर्पित पदों के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया जायेगा। यह निर्णय आदिवासी क्षेत्र की करीब 89 विकासखण्डों में संचालित प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर की संस्थाओं में शिक्षा सुविधा के विस्तार के लिए लिया गया है।

लोक सेवा विधेयक और लाड़ली लक्ष्मी विधेयक : उप समितियों का गठन

मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं का प्रदाय गारंटी विधेयक 2010 तथा मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन विधेयक 2010 के संबंध में मंत्रिमण्डलीय उप समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। लोक सेवा विधेयक के लिए गठित उप समिति में विधि मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, जल संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री कन्हैयालाल अग्रवाल शामिल हैं। लाड़ली लक्ष्मी विधेयक के लिए गठित उप समिति में वित्त मंत्री श्री राघवजी, सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, वन मंत्री श्री सरताज सिंह तथा महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती रंजना बघेल शामिल हैं।

तुलावटियों और हम्मालों के प्रतिनिधि राज्य मण्डी बोर्ड में नामांकित

मध्यप्रदेश में अब हम्माल और तुलावटी मण्डी समितियों में अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे तथा उनके प्रतिनिधि को राज्य मण्डी बोर्ड में नामांकित किया जायेगा। इसके लिये मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक 2010 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

चार विद्युत परियोजनाओं के लिये भूमि का आवंटन

मंत्रिपरिषद की बैठक में सिंगरौली जिले में 1320 मेगावाट का पावर प्लान्ट स्थापित करने के लिये जयप्रकाश पावर वेन्चर प्रा. लिमिटेड को 25.5 हैक्टेयर भूमि, मेसर्स हिंडालको को एल्यूमीनियम स्मलेटर एवं केप्टिव पावर प्लान्ट की स्थापना के लिये 68.86 हैक्टेयर भूमि, मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर लिमिटेड को 1320 मेगावाट का पावर प्लान्ट स्थापित करने के लिये 28.303 हैक्टेयर भूमि और अनूपपुर जिला में न्यू जोन इंडिया प्रा.लि. को 1320 मेगावाट का पावर प्लान्ट स्थापित करने के लिये 39.776 हैक्टेयर भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर राशि राजसात

मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्वालियर स्थित थाटीपुर की 30.06 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित न्यू टाउनशिप थाटीपुर के पुनर्घनत्वीकरण के अंतर्गत डेवलपर द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने के कारण 5 करोड़ रुपये की राशि राजसात की गई। इस परियोजना में अब 20 एकड़ भूमि पर 1010 विभिन्न श्रेणी के भवन (लागत करीब 73 करोड़) का क्रियान्वयन हुडको से ऋण लेकर हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। शेष 50 एकड़ भूमि में परियोजना का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के माध्यम से करवाने की कार्रवाई की जायेगी।

मध्यप्रदेश खनिज नियम 2006 में संशोधन

मंत्रिपरिषद की बैठक में म.प्र. खनिज (अवैध खनन/परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में संशोधन करने के संबंध में निर्णय लिया गया। संशोधन के अनुसार रेत के उत्खनन के स्थान से 4 कि.मी. की परिधि में कलेक्टर की अनुमति के उपरान्त रेत का भंडारण संविदा कालावधि में किया जा सकेगा/करवाया जा सकेगा।

12 इंच तक के कटर आरा मिल में शामिल

मंत्रिपरिषद की बैठक में काष्ठ चिरान संशोधन विधेयक 2010 में 12 इंच तक के कटर को भी आरा मिल की परिभाषा में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया।

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-क (2) में संशोधन का मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। पूर्व में अधिनियम में 2 दिवस तक लागतार आपत्ति प्राप्त करने की अधिसूचना प्रकाशित करवाने का प्रावधान था। इसके स्थान पर अब एक दिन दो समाचार-पत्रों में (एक उस क्षेत्र में परिचालित समाचार-पत्र में) प्रकाशित करने संबंधी संशोधन को मान्य किया गया।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं का प्रदाय गारंटी विधेयक 2010 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं का प्रदाय गारंटी विधेयक 2010 का अनुमोदन किया गया।